राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम

दया लाल एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 486 ऑफ 2011)

13 जनवरी 2011

[माननीय और.वी. रवीन्द्रन और मार्कंडेय काटजू, जे.जे]

सेवा कानून:

नियमितीकरण- नियमितीकरण और वेतन में समानता से संबंधित कानूनी सिद्धांत- चर्चा की गई।

नियमितीकरण- सहायता प्राप्त गैर-सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को- सरकारी सेवा में नियमितीकरण द्वारा सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के समान वेतन, माध्यम से आमेलन का दावा- निर्धारित किया गया: स्वीकार किये जाने योग्य नहीं- सरकार केवल सहायता प्राप्त गैर-सरकारी छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन, पानी, बिजली, कपड़े, बाल काटने, साबुन, तेल और जूते के खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान के माध्यम से और ऐसे छात्रों की किताबों और स्टेशनरी के लिए सहायता व अनुदान प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है- सरकार सहायता प्राप्त छात्रावासों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च वहन

करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और यह जिम्मेदारी के निजी संगठनों पर है कि वे सहायता प्राप्त छात्रावासों को अपने संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन को पूरा करें। सहायता प्राप्त छात्रावासों में कार्यरत व्यक्ति उन छात्रावासों को चलाने वाले संबंधित संगठन के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी नहीं हैं- सरकार ने केवल ऐसे छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के भोजन और शिक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए निजी संगठनों द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं- इसलिए, सहायता प्राप्त छात्रावासों द्वारा नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नियोजित व्यक्तियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है- और न ही सरकार को उन निजी छात्रावासों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अवशोषण, नियमितीकरण या वेतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।-सरकारी और सहायता प्राप्त छात्रावास प्रबंधन नियमए 1982-और.और. 5, 9 और 11

अस्थायी कर्मचारी- कुछ वर्षों की सेवा के साथ सरकारी छात्रावासों में अस्थायी आधार पर कार्यरत अंशकालिक रसोइया और चौकीदार- एक विशेष योजना बनाकर नियमितीकरण का दावा- निर्धारित किया गया: हकदार नहीं- यदि कर्मचारी की सेवा एक या दो साल की अवधि में लिये बढ़े या कुछ वर्षों के लिये लगातार किन्हीं अंतिम आदेशो की चुनौती के तहत, और अंतरिम आदेशें के अधीन बढ़े तो वह कर्मचारी विभाग के नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन के भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की राहत के हकदार नहीं होंगे- यदि कोई एकमुश्त योजना होती जो

लोग कट ऑफ डेट से पहले सेवा में थे, उनके नियमितीकरण के लिए, अनियमित या अंशकालिक नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए योजना के बाद योजना के लिए क्रमिक निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं दिए जा सकते- अंतरिम आदेश।

नियमितीकरण- नियमितीकरण, अवशोषण या स्थायी निरंतरता का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र:-निर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालयों, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय नियमितीकरण, अवशोषण या स्थायी निरंतरता का निर्देश नहीं देंगे, जब तक कि नियमितीकरण का दावा करने वाले कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध एक खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के अनुसरण में नियुक्त न किया गया हो। भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 16 और 226।

त्वरित अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठे थे, वे थे कि क्या सहायता प्राप्त गैर-सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के रूप में नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवा में नियमितीकरण के माध्यम से अवशोषण का दावा करने के हकदार हैं या सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के समान वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। सरकारी छात्रावासों की मेस समितियों द्वारा अस्थायी रूप से

नियुक्त अंशकालिक रसोइया और चौकीदार, दो या तीन साल की सेवा के साथ, एक विशेष योजना बनाकर नियमितीकरण के हकदार है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए निर्धारित किया किः-

1.1 उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियमितीकरण, अवशोषण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करेंगे, जब तक कि नियमितीकरण का दावा करने वाले कर्मचारियों को एक खुली प्रतियोगिता में प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के अनुसरण में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता खंड का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और अदालतों को किसी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने के लिए निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जिससे कि संवैधानिक योजना का उल्लंघन होता हो। जबकि कुछ ऐसी चीजें जो चयन की प्रक्रिया में तत्वों में से किसी एक के अनुपालन के अभाव में अनियमित हैं, जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाती हैं, उन्हें नियमित किया जा सकता है, लेकिन पिछले दरवाजे से की गई प्रविष्टियां और नियुक्तियां संवैधानिक योजना और/या नियुक्ति के विपरीत हैं। अयोग्य अभ्यर्थियों को नियमित नहीं किया जा सकता। [पैरा 8] [717-एफ-एच] [718- ए-बी]

1.2 किसी अस्थायी या तदर्थ या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा अदालत के कुछ अंतरिम आदेशों की आड़ में सेवा जारी रखने मात्र से, उसे सेवा में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी सेवा 'लिटिजस एम्पलोयमेंट' होगी। यहां तक कि लंबे समय तक अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन वाली सेवा, एक या दो साल की सेवा को बताते हुये ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, यदि वह स्वीकृत पद के अधीन काम नहीं कर रहा है। कानूनी अधिकार के अभाव में सहानुभूति और भावना नियमितीकरण के किसी भी आदेश को पारित करने का आधार नहीं हो सकती। [पैरा 8] [718-ई-एफ]

1.3 यहां तक कि जहां एक कट-ऑफ तिथि के साथ नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार की जाती है (वह एक ऐसी योजना है जो यह प्रदान करती है कि जिन व्यक्तियों ने एक निर्दिष्ट संख्या में सेवा की है और रोजगार में बने हुए हैं)

(अंतिम तिथि के अनुसार) कट ऑफ तिथि के बाद नियुक्त किए गए अन्य लोगों के लिए यह दावा करना या दावा करना संभव नहीं है कि योजना को अंतिम तिथि बढ़ाकर उन पर लागू किया जाना चाहिए या योजना तैयार करने के लिए निर्देश मांगा जाना चाहिए। क्रमिक कट-ऑफ तिथियां प्रदान करने वाली नई योजनाएं। [पैरा 8] [718-ई-एफ]

1.4 अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं। अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों के आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी न ही निजी रोजगार में कार्यरत कर्मचारी, भले ही पूर्ण सेवा कर रहे हों समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। राज्य के विरुद्ध किसी विशेष वेतन का दावा करने का अधिकार एक अनुबंध या क़ानून के तहत उत्पन्न होना चाहिए। [पैरा 8] [718-जी-एच; 719-ए-बी]

सेक्रेटरी, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 (4) ई एससीसी 1; एम. राजा बनाम सीईईऔरआई एजुकेशनल सोसायटी, पिलानी 2006 (12) एससीसी 636; एस.सी. चंद्रा बनाम झारखंड राज्य 2007 (8) एससीसी 279; कुरूक्षेत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मेहर चंद 2007 (15) एससीसी 680; ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद 2008 (10) एससीसी 1- पर आधारित रहा।

2.1 त्वरित अपील में उत्तरदाताओं को सरकारी और सहायता प्राप्त छात्रावास प्रबंधन नियम, 1982 के अनुसरण में नियुक्त किया गया था जो राज्य सरकार द्वारा 18.1.1982 को जारी किए गए थे। हालाँकि उन्हें नियमों

के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम के तहत विधायिका में निहित शर्तों के अनुसरण में वे वैधानिक नियम नहीं बनाए गए थे। वे प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए कार्यकारी निर्देशों और दिशानिर्देशों की प्रकृति में अधिक थे। उक्त नियमों का उद्देश्य समाज कल्याण द्वारा संचालित सरकारी छात्रावासों, ऐसे छात्रावासों में रहकर भोजन का व्यय पूरा करने के लिए विभाग के साथ-साथ सहायता प्राप्त छात्रावास जिन्हें समाज कल्याण विभाग से अनुदान के रूप में कोई सहायता प्राप्त होती है, पर लागू होता था।

जहां तक सहायता प्राप्त छात्रावासों का सवाल है, सरकार केवल 6 से 8वीं कक्षा के छात्रों और 8वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों को अनुदान, पानी, बिजली, कपड़े, बाल काटने, साबुन, तेल और जूते के रूप में सहायता देने के लिए उत्तरदायी है। और ऐसे छात्रों की किताबों और स्टेशनरी के लिए एक और अनुदान। सरकार सहायता प्राप्त छात्रावासों और यह निजी संगठनों के लिए है जो सहायता प्राप्त छात्रावासों को अपने संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए चलाते हैं, के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सहायता प्राप्त छात्रावासों में कार्यरत व्यक्ति उन छात्रावासों को चलाने वाले संबंधित संगठनों के कर्मचारी हैं, न कि सरकार के कर्मचारी। सरकार ने ऐसे छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के भोजन और शिक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए निजी संगठनों द्वारा पूरी की जाने वाली

पात्रता शर्तें ही निर्धारित की हैं। इसलिए किसी कल्पना के तहत, सहायता प्राप्त छात्रावासों द्वारा नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। न ही सरकार को निजी छात्रावासों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, आमेलन, नियमितीकरण या वेतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सहायता प्राप्त छात्रावासों के कर्मचारी (स्थायी या अस्थायी) सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सहायता प्राप्त निजी धर्मार्थ संगठनों के कर्मचारी हैं जो ऐसे सहायता प्राप्त छात्रावासों को चलाते हैं, तो वे स्पष्ट रूप से किसी भी रिट याचिका अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवा के नियमितीकरण के दावे को कायम नहीं रख सकते हैं, जिसमें उनके बराबर स्थिति या वेतन का दावा किया गया हो, जो राज्य सरकार की सेवा में संबंधित पदधारक न हों। नियमितीकरण या वेतन में समानता की राहत के लिए सहायता प्राप्त छात्रावासों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं थीं और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें कोई राहत देने का निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 9,10] [719-डी-एफ; 722-ए-डी; 721-ई-एच]

2.2 अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों को वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 में सरकारी छात्रावासों में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1999 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया (वर्ष 1997 में संपर्क करने वाले को छोड़कर)। उनमें से कुछ की सेवाएँ अस्थायी नियुक्ति की तिथि से एक या दो वर्ष के भीतर ही समाप्त

कर दी गई थीं। हालाँकि राज्य ने उन सभी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया था जिन्हें समेकित वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था, अन्य उत्तरदाताओं ने अदालतों के अंतरिम आदेशों के अधीन काम जारी रखा। एक या दो साल की अवधि के लिए सेवा अंतिम आदेशों की चुनौती के कारण या अंतरिम आदेशों के आधार पर कुछ और वर्षों तक सेवा जारी रखने से उन्हें न तो नियमितीकरण के संदर्भ में और न ही नियमित के बराबर वेतन के भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की राहत का अधिकार मिलेगा। विभाग के कर्मचारी. यदि 1.5.1995 से पहले सेवा में रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए एकमुश्त योजना थी, तो स्पष्ट रूप से अनियमित या अंशकालिक नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए योजना दर योजना के लिए क्रमिक निर्देश नहीं हो सकते। [पैरा 11,12] [722-ई-जी; 723-ए-डी]

डेली रेटेड कैजुअल लेबर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1988 (1) एससीसी 122; भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम 1990 (1) एससीसी 361; धारवाड़ जिला पीडब्ल्यूडी साक्षर दलित वेतन कर्मचारी संघ बनाम राज्य कर्नाटक 1990 (2) एससीसी 396-पर निर्भर था।

केस कानून संदर्भ:

2006(4) एससीसी 1 पर भरोसा 8 के लिये

2016(12) एससीसी 636	पर भरोसा	8 के लिये
2007(8) एससीसी 279	पर भरोसा	8 के लिये
2007(15) एससीसी 680	पर भरोसा	8 के लिये
2008 (10) एससीसी 1	पर भरोसा	8 के लिये
1988(1) एससीसी 122	पर भरोस	8 के लिये
1990(1) एससीसी 361	पर भरोसा	8 के लिये
1990(2) एससीसी 396	पर भरोसा	8 के लिये

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 486/2011

उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर डी.बी. के सिविल विशेष अपील (रिट)सं. 454 ऑफ 2004 निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.08.2004 से।

साथ

सी.ए. नोस. 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ऑफ 2011

मधुरिमा टाटिया, मिलिंद कुमार, अरुणेश्वर गुप्ता --अपीलार्थी

विनीत ढांडा, जे.पी. ढांडा, राज रानी ढांडा, अमरेंद्र क्र. सिंह, मनु मृदुल, अनंत वत्स, प्रणव व्यास, सूर्यकांत, राखी बनर्जी, शर्मिला उपाध्याय, एम.पी. झा, राम एकबाल राय, हर्षवर्द्धन झा उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

माननीय और.वी.रवेन्द्रन, जे. 1. स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. पहला मामला अनुदानित छात्रावासों में 1985 और 1986 में अस्थायी रूप से सहायक अधीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित है। 1996 में उपसर्ग 'सहायक' हटा दिया गया और उसके बाद उत्तरदाताओं को अधीक्षक के रूप में जाना जाने लगा। दूसरा मामला एक सहायता प्राप्त छात्रावास में 30.6.1998 को अस्थायी रूप से अधीक्षक के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति से संबंधित है। उन्होंने यह कहते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं कि वे पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत थे और सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के समान कार्यों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन उन्हें केवल मामूली वेतन दिया जा रहा था, जबकि सरकारी छात्रावासों में उनके समकक्षों को वेतनमान में बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। जो श्रेणी (ए) और (बी)

छात्रावासों में 4000-6100 रुपये और श्रेणी 'सी' छात्रावासों में 3200-4900 रुपये। उन्होंने छात्रावास अधीक्षक के पदों को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित करने और समाज कल्याण विभाग के वर्ग 'सी' छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षक के समान वेतन देने की मांग की।

3. शेष आठ अपीलों में संबंधित उत्तरदाताओं का दावा है कि उन्हें वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी छात्रावासों में अंशकालिक रसोइया/चौकीदार के रूप में

नियुक्त किया गया था। उनका दावा है कि उनकी नियुक्ति के आदेश उस छात्रावास की संबंधित मेस समिति द्वारा जारी किए गए थे जहां वे कार्यरत थे; यह कि राज्य सरकार संबंधित छात्रावास मेस समिति को सहायता के रूप में प्रति माह 600/- रुपये की एक निश्चित राशि का भुगतान कर रही थी, जो बदले में उन्हें पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जा रहा था। राज्य सरकार ने दिनांक 28.12.1998 को एक आदेश जारी कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समेकित वेतन पर नियुक्त करने की प्रथा को रोक दिया और उस आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को हटा दिया। बाद के परिपत्र दिनांक 21.1.1999 द्वारा, जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विभाग द्वारा नियुक्त अंशकालिक चौकीदारों/रसोइयों को जो विभाग द्वारा दिनांक 1.2.1999 से नियुक्त किये हैं, हटा दें और उनके स्थान पर पूर्व सैनिकों या पूर्व सैनिकों की विधवाओं को नियुक्त करें। सरकारी निर्देशों के मद्देनजर, उत्तरदाताओं को आशंका है कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। [उत्तरदाताओं में से दो उत्तरदाताआेें- मदन लाल योगी और कुर्दा राम की सेवाएं, जिन्हें क्रमशः 15.7.1995 और 1.7.1995 को नियुक्त किया गया था, हालांकि इससे पहले ही उनकी सेवा में दिनांक 17.3.1997 और 28.12.1998 को समाप्त कर दी गई थीं]। उत्तरदाताओं ने जाहिर किया कि इस न्यायालय ने पहले एक योजना को मंजूरी दी थी जिसके तहत 1.5.1995 को काम कर रहे अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों को नियमित किया गया था; और चूंकि वे (अप्रार्थीगण)

सभी 1.5.1995 के बाद नियुक्त किए गए थे और इसलिए उक्त योजना के तहत कवर नहीं किए गए थे, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए एक नई योजना बनाई जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इस आशय की घोषणा की मांग की कि दिनांक 28.12.1998 और 1.2.1999 के परिपत्र अमान्य की घोषणा की जावे और राजस्थान के आदेश दिनांक 26.5.1995 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के समान एक उचित योजना बनाकर नियमितीकरण के निर्देश दिए जायें। डब्ल्यूपी संख्या 3453/1994 में उच्च न्यायालय- अंशकालीन समाज कल्याण संघ, बांसवाड़ा बनाम राजस्थान राज्य।

4. पहली सात अपीलों में, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 7.5.2003 के एक सामान्य आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उन्होंने कहा कि अधीक्षक, रसोइया और चौकीदार के पदों पर काम करने वाले रिट याचिकाकर्ता उस वेतन के बराबर वेतन उनकी संबंधित रिट याचिकाओं की तारीखें पाने के हकदार हैं जो राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में समान पदों पर रहने वाले उनके समकक्षों को दिया जाता था। उन्होंने यह भी माना कि समेकित वेतन पर छात्रावासों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का कोई भी प्रयास अन्यायपूर्ण और अवैध था और इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को उन पदों पर काम करना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वे अपने संबंधित रिट याचिकाएँ दाखिल करने की तिथि

के अनुसार धारण कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार को उसी तर्ज पर एक योजना बनाने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य सरकार ने पहले अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों (जो 1.5.1995 को सेवारत थे) से संबंधित एक योजना बनाई थी। उन्होंने दिनांक 28.12.1998 और 21.1.1999 के आदेशों को भी रद्द कर दिया (जिसमें समेकित वेतन पर कार्यरत चौकीदारों और रसोइयों को 1.2.1999 से तत्काल प्रभाव से हटा दिये जाने के आदेश दिये गये थे और उनके स्थान पर पूर्व सैनिकों या पूर्व सैनिकों की विधवाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए)। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित योजना वह योजना थी जिसे अंशकालीन समाज कल्याण संघ (सुप्रा) में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 1996 में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था (सी.ए नंबर 365/1994- राजस्थान राज्य बनाम मोद सिंह)। जिससे व्यथित महसूस करते हुए, राज्य ने अपील दायर की जिसे दिनांक 16.8.2004 के एक सामान्य निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णयों को राज्य और उसके पदाधिकारियों द्वारा पहली सात अपीलों में चुनौती दी गई है।

5. अगली दो अपीलों में, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने सामान्य आदेश दिनांक 5.2.2001 द्वारा निर्णय अंशकालीन समाज कल्याण संघ (सुप्रा) में जारी निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में प्रतिवादी की रिट याचिकाओं को अनुमति दी:

"मामले की परिस्थितियों के आधार पर, यह निर्देश देना उचित और उचित होगा कि सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित छात्रावासों में कार्यरत चौकीदारों और रसोइयों को याचिका दायर करने की तिथि से क्रमशः सरकारी नौकरी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और रसाेइयों के लिए लागू न्यूनतम वेतनमान की दर से भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों ने याचिका दायर की है उनके मामले में, जिन्होंने याचिका दायर नहीं की है उनके मामले में इस आदेश की तिथि से भुगतान किया जाएगा। जहां तक नियमितीकरण का सवाल है, ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले, जिन्होंने पांच साल या उससे अधिक की सेवा कर ली है, नियमितीकरण के लिए तुरंत विचार किया जाएगा और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए योजना बनाई जाएगी और आज से छह महीने की अवधि के भीतर लागू की जाएगी। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है, उनके रोजगार को नियमित करने की योजना भी सरकार द्वारा उचित समय के भीतर बनाई जाएगी। ये निर्देश समान रूप से राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों के मामलों में लागू होंगे, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसे

कर्मचारियों ने इस न्यायालय में याचिका दायर की है या नहीं। इस आदेश का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो याचिका दायर करने के दिन या इस आदेश की तारीख, जैसा भी मामला हो, सेवा में थे।"

उक्त आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर की गई रिट अपील को एक खंडपीठ ने सामान्य आदेश दिनांक 16.11.2005 द्वारा खारिज कर दिया था।

6. अंतिम अपील (कुरड़ा राम से संबंधित) में, नियमितीकरण के लिए रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 3.5.1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा दायर विशेष अपील को दिनांक 2.12.2005 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और दिनांक 16.8.2004 के निर्णय (जो कि पहली सात अपीलों का विषय है) के बाद समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों के मामले पर दिनांक 16.8.2004 के आदेश की लंबित चुनौती में इस अदालत के निर्णय के आलोक में विचार किया जा सकता है।

7. इसलिए इन अपीलों में विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं:

(i) क्या सहायता प्राप्त गैर-सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के रूप में नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवा में नियमितीकरण या सरकारी छात्रावासों में अधीक्षकों के समान वेतन के माध्यम से अवशोषण का दावा करने के हकदार हैं?

(ii) क्या सरकारी छात्रावासों की मेस समितियों द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त अंशकालिक रसोइये और चौकीदार, दो या तीन साल की सेवा के साथ, एक विशेष योजना बनाकर नियमितीकरण के हकदार हैं?

8. शुरुआत में हम नियमितीकरण और वेतन में समानता से संबंधित निम्नलिखित सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं, जो इन अपीलों के संदर्भ में प्रासंगिक हैं:

(i) उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियमितीकरण, अवशोषण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करेंगे, जब तक कि नियमितीकरण का दावा करने वाले कर्मचारियों को एक खुली प्रतियोगिता में प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के अनुसरण में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता खंड का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और अदालतों को किसी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने के लिए निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, जो कि संवैधानिक योजना का उल्लंघन होगा। जबकि चयन की प्रक्रिया में तत्वों में से किसी एक के अनुपालन के अभाव में जो अनियमित है, जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाता है, उसे नियमित किया जा सकता है, पिछले दरवाजे से प्रविष्टियाँ, संवैधानिक योजना के

विपरीत नियुक्तियाँ और/अपात्रों की नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियमित नहीं किया जा सकता.

(ii) अदालत के कुछ अंतरिम आदेशों की आड़ में किसी अस्थायी या तदर्थ या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा सेवा जारी रखने से उसे सेवा में समाहित होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी सेवा 'लिटिजस एम्प्लोयमेंट' होगी। '. यहां तक कि लंबे समय तक अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन वाली सेवा, एक या दो साल की सेवा को बताते हुये ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वह स्वीकृत पद के अधीन काम नहीं कर रहा है। कानूनी अधिकार के अभाव में सहानुभूति और भावना; नियमितीकरण के किसी भी आदेश को पारित करने का आधार नहीं हो सकती।

(iii) यहां तक कि जहां एक कट-ऑफ तिथि के साथ नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार की जाती है (यह एक ऐसी योजना है जो यह प्रदान करती है कि जिन व्यक्तियों ने सेवा के वर्षों की एक निर्दिष्ट संख्या पूरी कर ली है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार रोजगार में बने हुए हैं), यह संभव नहीं है कि अन्य लोगों के लिए जिन्हें कट ऑफ तिथि के बाद नियुक्त किया गया था, यह दावा करना या दावा करना संभव है कि कट ऑफ तिथि बढ़ाकर उन पर योजना लागू की जानी चाहिए या क्रमिक कट

ऑफ तिथियां प्रदान करने वाली नई योजनाएं तैयार करने के लिए निर्देश मांगा जाना चाहिए।

(iv) अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं। अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों के आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

(v) सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। न ही निजी रोजगार में कार्यरत कर्मचारी, भले ही पूर्णकालिक सेवा कर रहे हों, सरकारी कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता की मांग नहीं कर सकते। राज्य के विरुद्ध किसी विशेष वेतन का दावा करने का अधिकार एक अनुबंध या क़ानून के तहत उत्पन्न होना चाहिए।

(देखें: सेक्रेटरी, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 (4) ई एससीसी 1; एम. राजा बनाम सीईईऔरआई एजुकेशनल सोसायटी, पिलानी 2006 (12) एससीसी 636; एस.सी. चंद्रा बनाम झारखंड राज्य 2007 (8) एससीसी 279; कुरूक्षेत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मेहर चंद 2007 (15) एससीसी 680; ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद 2008 (10) एससीसी 1)

9. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इन अपीलों में उत्तरदाताओं को सरकारी और सहायता प्राप्त छात्रावास प्रबंधन नियम, 1982 के अनुसरण में नियुक्त किया गया था जो राज्य सरकार द्वारा 18.1.1982 को जारी किए गए थे। हालाँकि उन्हें नियमों के रूप में संदर्भित किया गया था, वे किसी भी अधिनियम के तहत विधायिका द्वारा राज्य में निहित किसी भी शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक नियम नहीं थे। वे प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए कार्यकारी निर्देशों और दिशानिर्देशों की प्रकृति में अधिक थे। उक्त नियमों का उद्देश्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी छात्रावासों के साथ-साथ सहायता प्राप्त छात्रावासों पर भी लागू करना था, जिन्हें समाज कल्याण विभाग से अनुदान के रूप में कोई सहायता प्राप्त होती थी। हम इन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं।

9.1) नियम 5 में सरकारी छात्रावासों में स्टाफ पैटर्न दर्शाया गया है। नियम 5 के खंड (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी छात्रावास में एक सहायक अधीक्षक होना चाहिए और 'ए' और 'बी' श्रेणी के छात्रावासों में सहायक अधीक्षक का वेतन 385-650 रुपये के वेतनमान में होगा और 'सी' श्रेणी के छात्रावासों में वेतन 350-570 रुपये के वेतनमान में होगा। नियम 5 के खंड (4), (5) और (6) में प्रावधान है कि प्रत्येक छात्रावास में एक अस्थायी डॉक्टर होगा (जिसे 'ए' और 'बी' श्रेणी के छात्रावासों में 75/- रुपये, 'सी' श्रेणी के छात्रावासों में रु. 50/- का मासिक परिवहन भत्ता दिया

जाएगा।, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसे आवास प्रदान करके छात्रावास में रहना था और एक सफाई कर्मचारी जिसे अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना था।

9.2) खंड 9 में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी छात्रावास में एक मेस समिति होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में अधीक्षक/वार्डन, छात्रों में से एक निर्वाचित सचिव, सदस्यों के रूप में पांच अन्य छात्र और लेखाकार-सह-खजांची के रूप में एक सहायक अधीक्षक शामिल होंगे। नियम 9 के खंड (3) में प्रावधान है कि मेस समिति छात्रों के लिए भोजन, नाश्ता, पानी, बिजली, कपड़े, बाल काटने, साबुन, तेल और जूते आदि की व्यवस्था करेगी जिसके लिए सरकार प्रति छात्र 80/- रुपये (कक्षा 6 से 8 के छात्रों के संबंध में) और 85/- रुपये प्रति माह (कक्षा 9 से 11 के छात्रों के संबंध में) मेस समिति को भुगतान करेगी। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए, छात्रावासों में छात्रों के लिए किताबें, स्टेशनरी और फीस उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिला अधिकारी को एकमुश्त राशि का भुगतान भी करेगी, जिसकी गणना प्रति छात्र 60/- रुपये (कक्षा 9 से 11 के लिए) और 40/- प्रति छात्र (कक्षाओं के लिए) की दर से की जाएगी। नियम 9 के खण्ड (7) में प्रावधान है कि शासकीय छात्रावासों की मेस समिति को विभागीय रसोइया उपलब्ध नहीं कराया जायेगा बल्कि प्रत्येक मेस समिति को प्रति रसोइया 250/- रूपये प्रतिमाह का अनुदान दिया जायेगा तथा रसोइयों की संख्या निर्धारित की जायेगी। छात्रों की संख्या के संदर्भ में (25 छात्रों पर

एक रसोइया) तथा रसोइयों की नियुक्ति वर्ष में दस माह के लिए अंशकालिक आधार पर होगी।

9.3) अनुदानित छात्रावासों की मान्यता एवं उनके प्रबंधन से संबंधित नियम 11. इसके खंड (1) में प्रावधान है कि पंजीकृत स्वैच्छिक सेवा संगठनों को छात्रावासों के प्रबंधन, मान्यता और अनुदान की अनुमति के लिए निदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। खंड (2) में प्रावधान है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, प्रस्तावित छात्रावास में पर्याप्त भवन एवं अन्य स्रोतों की उपलब्धता, संस्था के पास आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं या नहीं, को ध्यान में रखते हुए आवेदनों का निस्तारण करेंगे। संस्था छात्रावास में निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। खंड (3) में प्रावधान है कि छात्रावास की मंजूरी की शर्तों में से एक समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के छात्रों का प्रवेश है। नियम 11 के खंड (5) में प्रावधान है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों को देय राशि का 90% (छात्रों को भोजन, कपड़े आदि उपलब्ध कराने के लिए) मेस समिति के खाते में भुगतान किया जाएगा (संदर्भ के साथ गणना की गई) (छात्रों की संख्या के अनुसार) और छात्रों की फीस और पुस्तकों के लिए अनुदान जिला कार्यालयों द्वारा वितरित किया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि सहायता प्राप्त संगठन द्वारा नियुक्त सहायक अधीक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, अचल संपत्तियों की

लागत और भवन के किराए का खर्च छात्रावास चलाने वाले सहायता प्राप्त संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

<u>प्रश्न (i)- सहायता प्राप्त छात्रावासों से संबंधित पहली दो अपीलें</u>

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां तक सहायता प्राप्त छात्रावासों का संबंध है, सरकार केवल 6 से 8 वीं कक्षा के छात्रों और ऐसे छात्रावासों में रहने वाले 8 वीं से 11 वीं कक्षा के छात्रों को भोजन, पानी, बिजली, कपड़े, बाल-कटिंग, साबुन, तेल और जूते का खर्च और किताबों और स्टेशनरी के लिए अन्य अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थी। सरकार सहायता प्राप्त छात्रावासों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी और यह निजी संगठनों के लिए था जो सहायता प्राप्त छात्रावासों को अपने संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए चलाते थे। सहायता प्राप्त छात्रावासों में कार्यरत व्यक्ति उन छात्रावासों को चलाने वाले संबंधित संगठनों के कर्मचारी थे, न कि सरकार के कर्मचारी। सरकार ने ऐसे छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के भोजन और शिक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए निजी संगठनों द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें ही निर्धारित की हैं। इसलिए किसी भी कल्पना के तहत सहायता प्राप्त छात्रावासों द्वारा नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। न ही सरकार को निजी छात्रावासों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, आमेलन,

नियमितीकरण या वेतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि सहायता प्राप्त छात्रावासों के कर्मचारी (या तो स्थायी या अस्थायी) सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सहायता प्राप्त निजी धर्मार्थ संगठनों के कर्मचारी हैं जो ऐसे सहायता प्राप्त छात्रावासों को चलाते हैं, तो वे स्पष्ट रूप से किसी भी रिट याचिका को कायम नहीं रख सकते हैं, जिसमें उनके बराबर स्थिति या वेतन का दावा किया गया हो। राज्य सरकार की सेवा में संबंधित पदधारक, न ही राज्य सरकार के अधीन सेवा के नियमितीकरण का दावा करते हैं। इसलिए, सहायता प्राप्त छात्रावासों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा नियमितीकरण या वेतन में समानता की राहत के लिए रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं थीं और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें कोई राहत देने का निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

<u>प्रश्न (ii)- सरकारी छात्रावासों में अंशकालिक रसोइयों/चौकीदारों से संबंधित अन्य अपीलें।</u>

11. अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों को वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 में सरकारी छात्रावासों में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1999 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया (मदन लाल योगी को छोड़कर जिन्होंने वर्ष 1997 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था). उनमें से कुछ की सेवाएँ अस्थायी नियुक्ति की तारीख से एक या दो साल के भीतर ही समाप्त कर दी गई थीं। हालाँकि राज्य ने उन

सभी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया था जिन्हें समेकित वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था, अन्य उत्तरदाताओं ने अदालतों के अंतरिम आदेशों के कारण काम जारी रखा। विभाग के कर्मचारियों को एक या दो साल की अवधि के लिए सेवा अंतिम आदेशों की चुनौती के तहत अंतिम आदेशों या अंतरिम आदेशों के आधार पर कुछ और वर्षों तक जारी रहने से, उन्हें न तो नियमितीकरण के संदर्भ में और न ही नियमित के बराबर वेतन के भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की राहत का अधिकार मिलेगा। विभाग के कर्मचारी.

12. उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, अर्थात् उच्च न्यायालय के अंशकालीन समाज कल्याण संघ के फैसले ने निस्संदेह राज्य सरकार को अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों के नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि ऐसी योजना का उद्देश्य एक बार का उपाय करना था। आगे कहा गया है कि उमा देवी से पहले उच्च न्यायालय द्वारा डेली रेटेड कैजुअल लेबर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [1988 (1) एससीसी 122], भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम [1990 (1) एससीसी 361] और धारवाड़ जिला पीडब्ल्यूडी साक्षर दलित वेतन कर्मचारी संघ बनाम कर्नाटक राज्य [1990 (2) एससीसी 396] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया गया था। उमा देवी मामले में संविधान पीठ द्वारा इन निर्देशों पर विचार किया गया, समझाया गया और वास्तव में इन्हें

खारिज कर दिया गया। अंशकालीन समय कल्याण सिंह का फैसला अब अधिकृत कानून नहीं रहा. सभी घटनाओं में, भले ही 1.5.1995 से पहले सेवा में रहने वालों के नियमितीकरण के लिए एक बार की योजना थी, लेकिन अनियमित या अंशकालिक नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए योजना के बाद योजना के लिए क्रमिक निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं हो सकते हैं। इसलिए उक्त निर्णय किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है।

निष्कर्ष

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक और अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया जाता है। इसलिए, कोई भी उत्तरदाता किसी भी राहत का हकदार नहीं है। सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं और इन अपीलों में चुनौती दिए गए उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द किया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

डी.जी. अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवदीप (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।